प्रेस नोट दिनांक 03.09.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

🔷 थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनंत चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सैयदराजा प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह द्वारा दिनांक 03.09.2025 को चौकी धरौली के सामने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की गयी मो.सा. UP65EF8320 बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आज दिनांक-03.09.2025 को मु.अ.सं. 252/2025 धारा 317 बीएनएस 2023 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.राम प्रवेश यादव पुत्र राम अवतार यादव उम्र करीब 25 वर्ष ग्राम रोहाखी थाना इलिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण -

01 मोटर साइकिल UP 65 EF 8320

आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 93/2020 धारा 380, 411, 457 थाना इलिया चन्दौली

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 संतोष कुमार चौकी प्रभारी धरौली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.हे0 का0 संजय सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

4.का0 राजीव शुक्ला थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

5.का0अनिल यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

6.का0 सुनील कुमार पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

7.का0 जितेन्द्र सरोज थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

8.का0 अजय सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

9.का0 विवेक तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना चकिया जनपद चंदौली

🔷 थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 10 राशि गोवंश बरामद

चंदौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध शराब/गोतस्करों के विरूद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 03.09.2025 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मिर्जापुर अहरौरा की तरफ से एक पिकप वाहन मे गो तस्कर गोवंशो को लादकर कस्बा शिकारगंज होते हुए मुसाखाड के रास्ते रास्ते बिहार होते पश्चिम बंगाल को जाने वाले है। मुखविर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दैत्यावीर बाबा लठिया कला गांव के पास मेन रोड पर चेकिंग की जा रही थी कि एक पिकअप चालक द्वारा चेकिंग होता देख चेकिंग स्थल से कुछ दूर पहले ही पिकअप को खड़ा कर मौके से फरार हो गये। पुलिस टीम द्वारा पिकअप के पास पहुंच कर चेक किया गया तो पिकप में लदे 10 राशि गोवंशो बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-168/2025 धारा-3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम व 325 बीएनएस में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

1.10 राशि गोवंशीय पशु (08 जिन्दा व 02 मृत)

2.01 INTRA पिकअप वाहन संख्या UP65MT4891

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 यज्ञ नारायण यादव चौकी प्रभारी शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.पीआरडी मुरलीधर थाना चकिया जनपद चन्दौली।

6.पीआरडी राजेश थाना चकिया जनपद चन्दौली

ऑपरेशन कन्विक्शन

◆ **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

◆ **मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार (एएसजे कक्ष सं0 प्रथम) द्वारा दोषी 03 अभियुक्त को 09-09 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

थाना धानापुर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 30.05.2003 को धारा 307,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. संजय गिरी पुत्र राजनरायन गिरी 2.राजेश गिरी पुत्र रामनरायन गिरी 3. अवधेश यादव पुत्र हरि यादव 4. (बाल अपचारी) निवासी गण ग्राम नरौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-97/2003 धारा 307,504 भादवि में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना धानापुर के पैरोकार हे0का० सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.09.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार (एएसजे कक्ष सं0 प्रथम) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 03 अभियुक्त 1.संजय गिरी पुत्र राजनरायन गिरी 2.राजेश गिरी पुत्र रामनरायन गिरी 3.अवधेश यादव पुत्र हरि यादव निवासी गण ग्राम नरौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली को धारा 307,504 भादवि के अंतर्गत 09-09 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।